बच्चों के भविष्य से खिलवाड़

साभार : इंडियन एक्सप्रेस **07 अगस्त, 2017**

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2 (शासन व्यवस्था, शिक्षा) के लिए महत्वपूर्ण है।

सरकार द्वारा निरोधक नीति (no-detention policy) को रद्द करने का फैसला यह दर्शाता है कि सरकार सही गलत का पहचान करने में नाकम साबित हो रही है, साथ ही यह शिक्षा के अधिकार को भी कमजोर बनाता है।

सरकार द्वारा निरोधक नीति (एनडीपी) को रद्द करने का फैसला अधिकार और निशुल्क शिक्षा (आरटीई) अधिनियम, 2009 को कमजोर कर बना देगा। नो डिटेंशन पॉलिसी के तहत प्रावधान है कि बच्चों को आठवीं तक किसी कक्षा में अनुत्तीर्ण घोषित कर उसी कक्षा में ना रखा जाये। अर्थात अगर किसी छात्र के प्राप्तांक कम भी हैं तो उसे पासिंग ग्रेड देकर अगली कक्षा में भेज दिया जाये। इस पॉलिसी का मुख्य मकसद यह था कि छात्रों की सफलता का मूल्यांकन केवल उसके द्वारा परीक्षा में प्राप्त अंको से ना किया जाये बल्कि उसके सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखा जाये। लेकिन 25 राज्यों ने एनडीपी के खिलाफ आवाज उठाई है, उनका यह तर्क है की यह नीति कक्षा 9 और 10 में उच्च असफलता और ड्रॉप-आउट का कारण बन रही है। केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड (सीएबीई) ने भी इसका समर्थन किया है।

इस नीति में व्याप्त कमियों के कारण छात्रों को अपने अध्ययन के प्रति लापरवाही का रवैया विकसित करने के लिए प्रेरित किया है। माता-पिता अपने बच्चों के प्रति अधिक चिंतित नहीं थे, क्योंकि उनके बच्चों को अध्ययन कक्षा में पुनः पढ़ाया नहीं जा सकता है। इसने शिक्षा की गुणवत्ता को कमतर किया है और अच्छे और बुरे छात्रों के बीच कोई अंतर नहीं आ सका है।

लेकिन यहाँ प्रश्न यह है कि सरकार ने इसका गंभीर विश्लेषण क्यों नहीं किया? और इस नीति की शुरुआत सरकार ने खुद की थी, तो उस वक्त सरकार ने इसमें छिपी कमियों पर ध्यान क्यों नहीं दिया? कई शिक्षाविदों ने यह तर्क दिया है कि एनडीपी को एक ऐसे वातावरण बनाने के लिए गलत ढंग से तैयार किया गया था, जिससे स्कूल जाने वाले के परिणामों के मूल्यांकन का महत्व खुद बखुद कमजोर हो गया। निरंतर व्यापक मूल्यांकन (सीसीई), जिसका उद्देश्य कक्षा में आवधिक अंतराल पर पढाये जाने वाले चीजों को बच्चों को समझाना था, ज्यादातर स्कूलों में गलत ही साबित हुआ।

निश्चित तौर पर इस असफलता का कारण यह भी होगा कि पहले से ही अतिभारित शिक्षकों को इस सुधार के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण नहीं दिया गया। उन्हें पता ही नहीं होगा कि इसका मूल्यांकन कैसे किया जाना चाहिए। और तो और कई स्कूलों में, सीसीई को 'प्रोजेक्ट काम' तक सीमित कर दिया गया जिससे माता-पिता से नाखुश थे। विद्यालयों के बुनियादी ढांचे के उन्नयन और शिक्षक-छात्र अनुपात में वृद्धि के बारे में आरटीई के प्रावधान, जो एनडीपी के लिए एक सक्षम माहौल तैयार करता है, को काफी नीचे दबा दिया गया।

शिक्षा के लिए जिला सूचना प्रणाली के अनुसार, जो एक राष्ट्रीय शैक्षणिक योजना और प्रशासन, दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा विकसित एक डेटाबेस है, देश में 10 फीसदी से भी कम विद्यालयों में आरटीई की आवश्यकताओं के अनुरूप बुनियादी ढांचे और शिक्षकों की उपलब्धता मौजूद नहीं हैं। वास्तव में, अगर आंकड़ों पर विश्वास करे तो लगभग 8 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालयों में सिर्फ एक शिक्षक उपलब्ध है।

हांलाकि, आरटीई ने रचनात्मक समाधान की मांग की है। एनडीपी और सीसीई को, उदाहरण के लिए, शिक्षक प्रशिक्षण में पहले से ही मौजूद कमियों को दूर करने के लिए एक बेहतर नीति निर्माण पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। नीति निर्माताओं और शिक्षा विशेषज्ञों को इन अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए शिक्षकों के साथ लगातार जुड़े रहना होगा। एनडीपी को रद्द करने का कदम आरटीई के समावेशी शिक्षा के लक्ष्य के लिए बहुत ही मुश्किल होगा। सरकार को इस कदम पर पुनर्विचार करना चाहिए और निरोधक नीति के सफल और इसे सक्षम बनाने के लिए एक बेहतर माहौल का निर्माण करना चाहिए।

नो डिटेंशन पॉलिसी (निरोधक नीति)

नो डिटेंशन पॉलिसी शिक्षा के अधिकार अधिनियम (2009) का अहम् हिस्सा है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) 2009, जो 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की बात करता है। शिक्षा की धारा 21ए के तहत 6 और 14 वर्ष की उम्र के बीच प्रत्येक बच्चे का मौलिक अधिकार बना दिया गया है और प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम मानदंड निर्दिष्ट किए गए हैं। इस अधिनियम में सभी निजी स्कूलों (अल्पसंख्यक संस्थानों को छोड़कर) के गरीबों और अन्य श्रेणियों के बच्चों के लिए 25% सीटें (सार्वजनिक-निजी भागीदारी योजना के हिस्से के रूप में राज्य द्वारा प्रतिपूर्ति के लिए) आरक्षित करना आवश्यक हैं।

धारा-16 के तहत अधिनियम, पढ़ने, लिखने और कक्षा को पास करने में असमर्थ होने के कारण विद्यालय छोड़ने वालों की उच्च दर के संबंध में, स्कूल छोड़ने की दर को कम करने और शिक्षित नागरिकता रखने के लिए कक्षा आठवीं तक किसी छात्र को विद्यालय आने से रोकना या विद्यालय से निष्काषित करने से रोकता है।

- न्यूयॉर्क के 'पी.ई.यू. रिसर्च सेंटर' (Pew Research Center) द्वारा विश्व के 90 से अधिक देशों में स्कूली शिक्षा मानकों का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। यह अध्ययन 'विश्व में धर्म एवं शिक्षा' नाम से किया गया। यह दुनिया के प्रमुख धर्मों के बीच 'शैक्षिक प्राप्ति' (Educational Attainment) पर केंद्रित है। इसमें हिंदुओं में 'शैक्षिक प्राप्ति' का स्तर सबसे कम पाया गया और

भारतीय विद्यालयी शैक्षणिक व्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे निम्न स्थान प्रदान किया गया। दूसरी तरफ औसत स्कूली वर्ष (years of schooling) के संदर्भ में देखा जाए तो ईसाई धर्म में 9.3 वर्ष, बौद्ध धर्म में 7.9 वर्ष है, जबकि मुस्लिम एवं हिंदू धर्म में औसत स्कूली वर्ष 5.6 वर्ष है, जोकि वैश्विक औसत 7.7 वर्ष से काफी कम है।

- इसी प्रकार का अध्ययन हार्वर्ड विश्वविद्यालय और कोरिया विश्वविद्यालय के आर.जे. बैरो (R.J. Barro) द्वारा वर्ष 2011 में किया गया था और उसनें भी लगभग इसी प्रकार का निष्कर्ष निकला था।
- पीसा (PISA), जोकि यूरोप में अपनाया जाने वाला माप मानक (Measurement Standards) है, ने भारतीय स्कूलों की गुणवत्ता का अध्ययन किया। इसके द्वारा किये गए 110 देशों के अध्ययन में भारत को नीचे से दूसरी रैंक प्रदान की गई, जो भारतीय शिक्षा की निराशाजनक स्थिति को दर्शाता है।
- प्रथम' एन.जी.ओ. की 'वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट' (Annual Status of Education Report) के द्वारा वर्ष 2014 में किये गए मूल्यांकन में क्लास-III के सभी बच्चों का 75 प्रतिशत, कक्षा-V का 50 प्रतिशत और कक्षा आठवीं के 25 प्रतिशत बच्चे कक्षा-II की पुस्तक पढ़ने में असमर्थ पाए गए। यह भी पाया गया कि सरकारी स्कूलों में कक्षा-V के सभी बच्चों में पढ़ने के स्तर में वर्ष 2010 से वर्ष 2012 के बीच गिरावट देखी गई।
- वर्ष 2015 के 'राष्ट्रीय सर्वेक्षण नमूना' (National Survey Sample) के परिणामों में भी माध्यमिक विद्यालयों के बच्चों में गणित, विज्ञान और अंग्रेजी को सीखने की क्षमता में भारी गिरावट दर्ज की गई।
- दिल्ली में हुए एक हालिया अध्ययन से पता चला है कि शहर के केवल 54 प्रतिशत बच्चे ही कुछ वाक्य पढ़ सकते हैं।

सकारात्मक पक्ष

- अनेक अध्ययनों से यह साबित हो चुका है कि विश्व में सीखने की दृष्टि से भारतीय बच्चे किसी अन्य देश से आगे हैं। उदाहरणस्वरूप अमेरिका में भारतीय अमेरिकी सबसे ज्यादा शिक्षित समुदायों में से एक हैं।

समस्या

- मुख्य समस्या शासन की गुणवत्ता (Abysmal Quality of Governance) में कमी मानी गई है।
- शिक्षा प्रणाली 'समावेशी' नहीं है।
- शिक्षक प्रबंधन, शिक्षक की शिक्षा और प्रशिक्षण, स्कूल प्रशासन और प्रबंधन के स्तर पर कमी।
- पाठ्यक्रमों में व्यावहारिकता की कमी।
- स्कूल स्तर के आँकड़ों की अविश्वसनीयता।
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के लिये किये गए प्रावधानों को लागू न किया जाना।
- शिक्षा के अधिकार अधिनियम (RTE) को जमीनी स्तर पर लागू न किया जाना इत्यादि।
- अवसंरचना का अभाव।
- शिक्षा संस्थानों की खराब वैश्विक रैंकिंग।
- प्रदान की गई शिक्षा और उद्योग के लिये आवश्यक शिक्षा के बीच अंतर।
- महंगी उच्च शिक्षा।
- लैंगिक मुद्दे।
- भारतीय बच्चों के लिये आधारभूत सुविधाओं की कमी।

समाधान

- शिक्षा क्षेत्र में प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना।
- शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।
- सरकारी खर्च को बढ़ाना।
- समावेशी शिक्षा प्रणाली पर जोर देना।
- गुणवत्ता की शिक्षा को बढ़ावा देना।
- शिक्षा क्षेत्र में ढाँचागत विकास हेतु 'पीपीपी मॉडल' को अपनाना।
- समावेशी शिक्षा नीति का निर्माण करना।

सरकार द्वारा उठाये जा रहे कदम

- सरकार द्वारा शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने हेतु 'टी.आर. सुब्रह्मण्यम समिति' का गठन किया गया था। समिति ने शिक्षा क्षेत्र के लिये एक नया सिविल सर्विस कैडर बनाने, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन (UGC) का उन्मूलन, कक्षा-V तक निरोधक नीति (no-detention policy) जारी रखना और प्राथमिक विद्यालय स्तर पर अंग्रेजी की शिक्षा देने जैसे अनेक महत्त्वपूर्ण सुझाव दिये थे। इस समिति के प्रावधानों को सरकार द्वारा अभी तक लागू नहीं किया गया है।
- सरकार ने हाल ही में भारतीय शिक्षा नीति को तैयार करने के लिये 'के. कस्तूरीरंगन समिति' (K. Kasturirangan) का गठन किया। इस समिति का प्रमुख कार्य भारतीय शिक्षा व्यवस्था को समकालीन बनाने, उसकी गुणवत्ता में सुधार करने, शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण तथा विदेशी विश्वविद्यालयों के भारत में प्रवेश जैसे कई महत्त्वपूर्ण प्रावधानों पर रोडमैप तैयार करना है।

संभावित प्रश्न

''भारत सरकार द्वारा शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने हेतु कई उपायों और नीतियों का क्रियान्वयन किया गया है, लेकिन अभी तक कोई भी नीति इस क्षेत्र में व्याप्त कमियों को दूर करने में पूरी तरह सक्षम नहीं हो सकी है।'' इस कथन के संदर्भ में सरकारी नीतियों की असफलता के कारणों, देश की शिक्षा व्यवस्था में विद्यमान कमियों तथा इन कमियों को दूर करने हेतु उचित समाधानों की व्याख्या कीजिये। (200 शब्द)